(2) ये नियम 8 दिसम्बर, 1992 से प्रभावी समझे जाएंगे।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें) नियमावली, 1985 के नियम 3 में 7300-100-7600 रुपये प्रति माह शब्दों और अंकों के स्थान पर 7300-200-7500-250-300 रुपये प्रति माह शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. ए 12018/7/91-प्र.अ.]

आर. रमणी, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने 8 दिसम्बर, 1992 को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों के वेतनमान संशोधित करने का निर्णय किया है। तदनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा दसस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें) नियमावली, 1985 में 8 दिसम्बर, 1992 से संशोधन किया जा रहा है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को विपरीत तथा लागू किए जाने से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का कोई भी सदस्य विपरीत तथा प्रभावित नहीं होगा।

पाद टिप्पणी:—

मूल नियम, 10 अगस्त, 1985 की अधिसूचना सा.का.नि. 644(ई), द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तदनन्तर निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए।

(1) दिनांक 12-6-87 की सा.का.नि. सं. 583 (ई)

(2) दिनांक 6-1-88 की सा.का.नि. सं. 9(ई)

(3) दिनांक 3-2-88 की सा.का.नि. सं. 79(ई)

(4) दिनांक 3-3-88 की सा.का.नि. सं. 314(ई)

(5) दिनांक 23-2-89 की सा.का.नि. सं. 120(ई)

(6) दिनांक 31-3-89 की सा.का.नि. सं. 417(ई)

(7) दिनांक 30-1-92 की सा.का.नि. सं. 72(ई)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 1993

G.S.R. 41(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 35 and section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1985, namely :—

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L. 33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 1993/माघ 12, 1914
No. 30] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 1993/MAGHA 12, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1993

सा.का.नि. 41(अ):—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) और धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें) नियमावली, 1985 में संशोधन के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली, 1993 है।

(2) ये नियम 8 दिसम्बर, 1992 से प्रभावी समझे जाएंगे।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें) नियमावली, 1985 के नियम 3 में 7300-100-7600 रुपये प्रति माह शब्दों और अंकों के स्थान पर 7300-200-7500-250-300 रुपये प्रति माह शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. ए 12018/7/91-प्र.अ.]

आर. रमणी, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने 8 दिसम्बर, 1992 को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों के वेतनमान संशोधित करने का निर्णय किया है। तदनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा दसस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें) नियमावली, 1985 में 8 दिसम्बर, 1992 से संशोधन किया जा रहा है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को विपरीत तथा लागू किए जाने से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का कोई भी सदस्य विपरीत तथा प्रभावित नहीं होगा।

पाद टिप्पणी:—

मूल नियम, 10 अगस्त, 1985 को अधिसूचना सा.का.नि. 644(ई), द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तदस्पर निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए।

(1) दिनांक 18-6-87 की सा.का.नि. सं. 583 (ई)

(2) दिनांक 6-1-88 की सा.का.नि. स. 9(ई)

(3) दिनांक 6-2-88 की सा.का.नि. सं. 79(ई)

(4) दिनांक 3-3-88 की सा.का.नि. स. 314(ई)

(5) दिनांक 2-2-89 की सा.का.नि. सं. 120(ई)

(6) दिनांक 31-3-89 की सा.का.नि सं. 417(ई)

(7) दिनांक 30-1-92 की सा.का.नि. सं. 72(ई)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 1993

G.S.R. 41(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 35 and section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice Chairman nd Members) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 8th day of December, 1992.

2. In rule 3 of the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances nd Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 985 for the abbreviation, figures and words "Rs. 7300-100-7600 per mensem;", he abbreviation, figures and words "Rs. 7300-200-7500-250-8000 per mensem;" hall be substituted.

[No. A. 12018|7|91-AT]

R. RAMANI, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided on 8th December, 1992 to revise the cale of pay of Members of the Central Administrative Tribunal. The Central dministrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules. 1985 are being amended accordngly, with effect from 8th December, 1992.

2. It is certified that no Member of the Central Administrative Tribunal is ikely to be affected adversely by this notification being given retrospective effect.

FOOTNOTE.—The Principal rules were published in the Gazette of India ide notification No. G.S.R. 644(E) dated the 10th August, 1985 and subsequent- amended vide notification—

(i) No. GSR 583(E) dated 18-6-1987.
(ii) No. GSR 9(E) dated 6-1-1988.
(iii) No. GSR 79(E) dated 4-2-1988.
(iv) No. GSR 324(E) dated 3-3-1988.
(v) No. GSR 120(E) dated 22-2-1989.
(vi) No. GSR 417(E) dated 31-3-1989.
(vii) No. GSR 72(E) dated 30-1-1992.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993

IndiaCode

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L. 33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 1993/माघ 12, 1914
No. 31] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 1993/MAGHA 12, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1993

सा.का.नि. 42(अ):—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर आवर्ती जमा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 1993 है।